



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170094

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8272/2026

सगीर उर्फ पप्पू एवं 2 अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : संदीप मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- श्री अभिषेक कुमार सिंह, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2/सूचनाकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप मिश्रा, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3- वर्तमान आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 221 वर्ष 2026, धारा 70(1), 62 बी.एन.एस., थाना जेवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

4- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया कि कथित घटना दिनांक 27.06.2026 को घटित हुई थी, जबकि अगले दिन दिनांक 28.06.2026 को केवल धारा 74 बी.एन.एस. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आवेदक संख्या 1 सगीर @ पप्पू द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ का अपराध किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जब पीड़िता का बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत दर्ज किया गया, तो उसने कहा कि आवेदकों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। जब पीड़िता को धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत उसका बयान दर्ज करने हेतु विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो उसने पुनः अपना कथन बदल दिया और आरोप लगाया कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि पक्षकारों के बीच धन संबंधी विवाद था, जिसे आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और वे शांतिपूर्वक रह रहे हैं। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि, उन्होंने तथ्यों के पहलू से इनकार नहीं किया।

6- मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

7- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे देश छोड़कर चले जाने आदि पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह विवेक का विषय है।

8- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा वह जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी किया जाना विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियां, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

10- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदकगण- सगीर @ पप्पू, पप्पू @ खेर मोहम्मद तथा राजू की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करें।

(ii)- आवेदकगण विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित होगा, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे;

(iii)- आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv)- आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे।

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन न करने अथवा उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकों को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडेय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।